

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 जनवरी 2015—पौष 12, शक 1936

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2014

क्र. ई-5-919-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. जे. विजय कुमार, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बीना, जिला-सागर को दिनांक 22 से 31 दिसम्बर 2014 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ 20 एवं 21 दिसम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. जे. विजय कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बीना, जिला-सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. जे. विजय कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. जे. विजय कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-814-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती उर्मिल मिश्रा, आयएएस., विकअ-सह-सचिव, म. प्र. राज्य सूचना आयोग भोपाल को दिनांक 15 से 16 दिसम्बर 2014 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13 एवं 14 दिसम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उर्मिल मिश्रा, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न

विकअ-सह-सचिव, म. प्र. राज्य सूचना आयोग भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती उर्मिल मिश्रा को, अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उर्मिल मिश्रा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-836-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एम. के. अग्रवाल, आयएस., कलेक्टर, जिला खण्डवा को दिनांक 22 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 20, 21 दिसम्बर 2014 एवं 4 जनवरी 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री एम. के. अग्रवाल, की अवकाश अवधि में श्री अमित तोमर, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, खण्डवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला खण्डवा का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. अग्रवाल, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला खण्डवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एम. के. अग्रवाल द्वारा कलेक्टर, जिला खण्डवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमित तोमर कलेक्टर, जिला खण्डवा के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एम. के. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री एम. के. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-927-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रवीण सिंह अढायच, आयएस., अनुविभागीय अधिकारी, लखनादौन, जिला सिवनी को दिनांक 10 से 22 नवम्बर 2014 तक, तेरह दिन का पितृत्व अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री प्रवीण सिंह अढायच को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री प्रवीण सिंह अढायच अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-954-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक कुमार शर्मा, आयएस., उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को दिनांक 29 दिसम्बर 2014 से 9 जनवरी 2015 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 28 दिसम्बर 2014 एवं 10, 11 जनवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार शर्मा को, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-886-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री गणेश शंकर मिश्रा, आयएस., अपर कलेक्टर, हरदा को दिनांक 10 से 14 नवम्बर 2014 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8, 9 एवं 15, 16 नवम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री गणेश शंकर मिश्रा को, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री गणेश शंकर मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गणेश शंकर मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-559-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आशीष उपाध्याय, आयएस., विकअ-सह-आयुक्त, कोष एवं लेखा एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 16 से 19 दिसम्बर 2014 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20 एवं 21 दिसम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष उपाध्याय को, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ-सह-आयुक्त, कोष एवं लेखा एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आशीष उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष उपाध्याय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-947-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती अलका श्रीवास्तव, आयएएस., अपर आयुक्त (राजस्व), सागर संभाग, सागर को दिनांक 22 दिसम्बर 2014 से 1 जनवरी 2015 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 20 एवं 21 दिसम्बर 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलका श्रीवास्तव को, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त (राजस्व), सागर संभाग, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अलका श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलका श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-873-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अभिषेक सिंह, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, देवास को दिनांक 24 दिसम्बर 2014 से 5 जनवरी 2015 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, देवास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अभिषेक सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिषेक सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-755-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री चन्द्रहास दुबे, आयएएस., प्रबंध संचालक, म. प्र. भण्डार गृह निगम, भोपाल को दिनांक 22 से 31 दिसम्बर 2014 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 20 एवं 21 दिसम्बर 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रहास दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, म. प्र. भण्डार गृह निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री चन्द्रहास दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्रहास दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-910-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा को दिनांक 10 से 14 नवम्बर 2014 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8, 9 एवं 15, 16 नवम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा, को, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-666-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. व्ही. एस. निरंजन, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय को दिनांक 22 से 26 दिसम्बर 2014 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. व्ही. एस. निरंजन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश

शासन, सामाजिक न्याय विभाग तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में डॉ. व्ही. एस. निरंजन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. व्ही. एस. निरंजन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-416-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. सुरेश, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा साप्रवि (मानव अधिकार) को समसंख्यक आदेश दिनांक 12 दिसम्बर 2014 द्वारा दिनांक 16 से 27 दिसम्बर 2014 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 28 दिसम्बर 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 17 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक, अट्ठारह दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 12 दिसम्बर 2014 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. ई-5-766-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शोभित जैन, आयएस., प्रबंध संचालक, एम. पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल को दिनांक 26 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2014 एवं 4 जनवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शोभित जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, एम. पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री शोभित जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शोभित जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अंटोनी डिसा, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर, 2014

क्र. एफ ए 5-25-2011-एक-एक.—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री मूलचन्द गर्ग, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	13 अक्टूबर 2014 से 17 अक्टूबर 2014	05	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश	—00—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव।

### गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2014

क्र. एफ 1(ए) 166-1989-ब-2-दो.—श्री एस. के. पाण्डेय, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आपदा प्रबंधन, होमगार्ड, म. प्र. भोपाल को दि. 17-12-2014 से दिनांक 24-12-2014 तक 08 दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 25-12-14 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन, द्वारा उन्हें खण्डवर्ष-2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष-2014-15 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा की पात्रता के तहत कन्याकुमारी जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के तहत प्रदान करता है:—

1. श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय, —स्वयं
2. श्रीमती रेवा पाण्डेय, —पत्नी
3. श्री शोभित पाण्डेय, —पुत्र
4. कुमारी श्रेया पाण्डेय, —पुत्री

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री एस. के. पाण्डेय, भापुसे, को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. पाण्डेय, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त स्थानापन्न रूप से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आपदा प्रबंधन, होमगार्ड, म.प्र. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) अवकाश काल में श्री एस. के. पाण्डेय, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि, यदि श्री एस. के. पाण्डेय, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहेंगे।

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2014

क्र. एफ 1(ए) 72-2009-ब-2-दो.—श्री कमल किशोर शर्मा, भापुसे, सेनानी 5वीं वाहिनी विसबल, मुरैना को दिनांक 01 से 10 अक्टूबर 2014 तक कुल दस दिवस लघुकृत अवकाश उपभोग करने के पश्चात् स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री कमल किशोर शर्मा, भापुसे के अवकाश खाते से 20 दिवस का अर्धवैतनिक (HPL) अवकाश घटाया जायेगा।

(3) अवकाशकाल में श्री कमल किशोर शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कमल किशोर शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014

क्र. एफ 1(ए) 268-1986-ब-2-दो.—श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 22 से 31 दिसम्बर 2014 तक, 10 दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करने एवं उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष-2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष-2012-13 के विस्तार वर्ष 2014 में उत्तर पूर्वी राज्यों की अवकाश यात्रा की पात्रता के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ नाथूलापास (सिक्किम) अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

- |                          |         |
|--------------------------|---------|
| 1. श्री राजेन्द्र कुमार  | —स्वयं  |
| 2. डॉ. शुचि श्रीवास्तव   | —पत्नी  |
| 3. कु. सुकृति श्रीवास्तव | —पुत्री |

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे।

(3) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री आर. के. मराटे, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशिक्षण) पु. मु. भोपाल द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(4) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(5) श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(6) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(7) प्रमाणित किया जाता है कि, यदि श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहेंगे।

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. एफ 1(ए) 95-99-ब-2-दो.—श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, रीवा रेंज रीवा को दिनांक 24 दिसम्बर 2014 से दिनांक 6 जनवरी 2015 तक चौदह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री आकाश जिंदल, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, रीवा द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, रीवा रेंज रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ 1(ए)77-2003-ब-2-दो.—डॉ. आशा माथुर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (प्रबंध) पुलिस मुख्यालय, भोपाल ने अस्वस्थ होने के कारण दिनांक 3 से 26 नवम्बर 2014 तक, कुल चौबीस दिवस लघुकृत अवकाश उपभोग करने के पश्चात् स्वीकृत किया जाता है।

(2) डॉ. आशा माथुर, भापुसे, के अवकाश खाते से 48 दिवस का अर्धवैतनिक (HPL) अवकाश घटाया जायेगा।

(3) अवकाशकाल में डॉ. आशा माथुर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आशा माथुर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)399-1988-ब-2-दो.—श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं), मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 29 दिसम्बर 2014 से 24 जनवरी 2015 तक सत्ताईस दिवस अर्जित अवकाश, 28 दिसम्बर 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे, को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं), मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए) 119-2011-ब-2-दो.—श्री आर. के. अरूसिया, भापुसे, सेनानी, 10 वीं वाहिनी विसबल, सागर, को पूर्व में स्वीकृत आदेश दिनांक 6 अगस्त 2014 को निरस्त करते हुए पुनः दिनांक 20 से 28 दिसम्बर 2014 तक, पांच दिवस आकस्मिक अवकाश, तीन दिवस विज्ञप्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 के विस्तार वर्ष 2014 में गृह नगर अवकाश यात्रा सुविधा के बदले में भारत भ्रमण हेतु अवकाश यात्रा की पात्रता के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ कन्याकुमारी (तमिलनाडू) जाने की अनुमति एवं 10 दिवस अवकाश नकदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

- |                          |          |
|--------------------------|----------|
| 1. श्री आर. के. अरूसिया  | — स्वयं  |
| 2. श्रीमती मन्जू अरूसिया | — पत्नी  |
| 3. कु. नेहा              | — पुत्री |

क्र. एफ 1(ए) 107-2008-ब-2-दो.—श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, श्योपुर ने अस्वस्थ होने के कारण दिनांक 15 से 25 अक्टूबर 2014 तक कुल ग्यारह दिवस लघुकृत अवकाश उपभोग करने के पश्चात् स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, के अवकाश खाते से 48 दिवस का अर्धवैतनिक (HPL) अवकाश घटाया जायेगा।

(3) अवकाशकाल में श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2014

क्र. एफ 1(ए) 107-86-ब-2-दो.—श्री वी. के. सिंह, भापुसे, महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 22 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक कुल तेरह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा

उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 के विस्तार वर्ष 2014 में गृह नगर यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत गृह नगर गौतमबुद्ध नगर (उत्तरप्रदेश) की अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| 1. श्री व्ही. के. सिंह | — स्वयं  |
| 2. श्रीमती तुहिन सिंह  | — पत्नी  |
| 3. कु. ज्योत्सना सिंह  | — पुत्री |
| 4. कु. रश्मि सिंह      | — पुत्री |

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री वी. के. सिंह, भापुसे, महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्य दिनांक 22 से 27 दिसम्बर 2014 तक श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे, अति. महानिदेशक जेल द्वारा तथा दि. 29 दिसम्बर 2014 से 3 जनवरी 2015 तक श्री आर. एस. विजयवर्गीय, उप महानिरीक्षक (विधि) द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री वी. के. सिंह, भापुसे, महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

### शुद्धि-पत्र

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

फा. क्र. 17-(ई) 43-2009-इक्कीस-ब(एक)-3773-014.—राज्य शासन, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8 अगस्त, 2014 में जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 दिनांक 15 अगस्त, 2014 में प्रकाशित की गई थी, में शुद्धि-पत्र जारी करता है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रमांक 4 के सामने कॉलम (2) में विद्यमान न्यायाधिकारी का नाम "श्री दीपक कावड़े" स्थान पर "श्री दीपराज कवड़े" पढ़ा जाए.

### CORRIGENDUM

F. No. 17(E) 43-2009-XXI-B(1)-3773-014.—The State Government issue corrigendum of this department's notification of even number dated 8th August, 2014, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 15th August, 2014, namely:—

In the said notification in the table, in column No. (2) against serial No. 4, for existing name of Nyayadhikari "Shri Deepak Kawde", read the name "Shri Deepraj Kawde".

फा. क्र. 17(ई) 44-2013-इक्कीस-ब(एक)-3906-14.—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब-(एक), 3476/2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

### सारणी

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	विशेष न्यायाधीश का नाम (3)
34	सिवनी	श्री संजय कृष्ण जोशी, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, सिवनी.
44	मंडलेश्वर (पश्चिम निमाड़)	श्री अनीस कुमार मिश्रा, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, मण्डलेश्वर (पश्चिम निमाड़).
45	अलीराजपुर	श्री शिव मंगल सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर."

यह संशोधन उस दिनांक से लागू होगा जिस दिनांक को इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपना पदभार ग्रहण करते हैं.

F. No. 17(E) 44-2013-XXI-B(1)-3906-2014.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in this department's Notification

F. No. B (1) 3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September, 2013, namely:—

S. No. (1)	Name of District (2)	Name and Designation of the Judge (3)
34	Seoni	Shri Sanjay Krishna Joshi, IInd Additional Sessions Judge, Seoni.
44	West Nimar Mandleshwar	Shri Anees Kumar Mishra, IInd Additional Sessions Judge, Mandleshwar (West Nimar).
45	Alirajpur	Shri Shiv Mangal Singh, District & Sessions Judge, Alirajpur."

This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2014

फा. क्र. 1(बी)-12-2014-इक्कीस-ब-(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्रीमती रचना गौतम पति श्री संदीप गौतम अधिवक्ता, जिला उमरिया को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला उमरिया सत्र खण्ड उमरिया राजस्व जिले के लिये एतद्वारा, अति. शासकीय अधिभाषक/अति. लोक अभियोजक, जिला उमरिया नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1(बी)-13-2014-इक्कीस-ब-(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री अश्विनी भाटे पुत्र श्री बी. ए. भाटे अधिवक्ता, जिला खण्डवा को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला खण्डवा सत्र खण्ड खण्डवा राजस्व जिले के लिये एतद्वारा, अति. शासकीय अधिभाषक/अति. लोक अभियोजक, जिला खण्डवा नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1(बी)-11-2014-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री राजेश साबले पुत्र श्री गंगाधरराव साबले अधिवक्ता, तहसील मुलताई, जिला बैतूल को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये बैतूल सत्र खण्ड के बैतूल राजस्व जिले की तहसील मुलताई के लिये एतद्द्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1(बी)-11-2014-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री नितिन मिश्रा पुत्र श्री विनोद मिश्रा अधिवक्ता, जिला बैतूल को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये बैतूल सत्र खण्ड के बैतूल राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2014

फा. क्र. 1(सी)-38-2014-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)

अधिनियम, 1989 की धारा-14 के अनुसार ग्वालियर जिले के विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 4(1) के अनुसार श्री अभय कुमार पाटील, अधिवक्ता को जिला ग्वालियर में विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति श्री अभय कुमार पाटील द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी. यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है. किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के पश्चात् वे उक्त पद पर कार्य करने हेतु अर्ह नहीं होंगे. विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर विशेष न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु पैनल अधिवक्ता को कार्य चक्रानुक्रम से जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवंटित किया जायेगा.

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)एट्रोसिटी-21-ब(दो), दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31 व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अमिताभ मिश्र, अपर सचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर, 2014

फा. क्र. 1-1-2002-इक्कीस-ब-(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सेवानिवृत्त अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने अथवा आगामी आदेश होने तक (जो भी पहले हो) एतद्द्वारा नियुक्त करता है:—

क्र.	नाम	पदनाम/पदस्थापना	62 वर्ष की आयु पूर्ण करने का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री शम्भु दयाल दुबे, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, खण्डवा	31-10-2016
2	श्री महेन्द्र पाल सिंह अरोरा, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.	द्वितीय अति. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर	14-10-2016

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत होगा.



फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब-(एक).—3964-2014.—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल, 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 27, 40 तथा 51 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक (1)	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (2)	विशेष न्यायालय (3)	स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड (4)
“27.	श्री अनीस कुमार मिश्रा, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, मण्डलेश्वर (पश्चिम निमाड़).	मण्डलेश्वर (पश्चिम निमाड़)	मण्डलेश्वर (पश्चिम निमाड़)
40.	श्री संजय कृष्ण जोशी, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, सिवनी.	सिवनी	सिवनी
51.	श्री शिव मंडल सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर	अलीराजपुर	अलीराजपुर”

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 1-6-89-XXI-B(1) 3964-2014.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification No. F. 1-6-89-XXI-B(1), dated 3rd April 1998 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, Dated the 17th April, 1998, namely:—

### AMENDMENT

In the said notification, in the schedule, for serial numbers 27, 40 and 51 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

S. No. (1)	Name and Designation of the Judges (2)	Special Court (3)	Local area Session Divisions (4)
“27.	Shri Anees Kumar Mishra, IInd Additional Sessions Judge, Mandleshwar (West Nimar).	Mandleshwar (West Nimar)	Mandleshwar (West Nimar)
40	Shri Sanjay Krishna Joshi, IInd Additional Sessions Judge, Seoni.	Seoni	Seoni
51.	Shri Shiv Mangal Singh, District & Sessions Judge, Alirazpur.	Alirazpur	Alirazpur.”

This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this notification assumes the charge of the office in the said Court.

फा. क्र. 17-(ई)-83-03-इक्कीस-ब-(एक).—3924-2014.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग—1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 65 तथा 111 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ अर्थात्:—

### सारणी

क्रमांक (1)	सिविल जिले का नाम (2)	विशेष न्यायालय का नाम (3)	विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम (4)
“65.	नरसिंहपुर	तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, गाडरवाड़ा	कुमारी प्रतिभा साठवाणे, तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, गाडरवाड़ा.
111.	मण्डलेश्वर	चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, खरगोन	श्री एन. एस. डावर, चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, खरगोन.”

F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(one)-3924-2014.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September, 2010, namely:—

### AMENDMENTS

In the said notification, in the table, for serial number 65 & 111 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No. (1)	Name of the Civil District (2)	Name of Special Court (3)	Name of the Judge of the Special court (4)
“65.	Narsinghpur	IIIrd Additional Sessions Judge, Gadarwara.	Ku. Pratibha Sathwane, IIIrd Additional Sessions Judge, Gadarwara.
111.	Mandleshwar	IVth Additional Sessions Judge, Khargone.	Shri N. S. Dawar, IVth Additional Sessions Judge, Khargone”.

फा. क्र. 17-(ई)-83-03-इक्कीस-ब-(एक).—3924-2014.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग—1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 65 तथा 111 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ अर्थात्:—

### सारणी

अनुक्रमांक (1)	सिविल जिले का नाम (2)	विशेष न्यायालय का नाम (3)	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार) (4)
“65.	नरसिंहपुर	तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, गाडरवाड़ा	गाडरवाड़ा एवं तेन्दुखेड़ा का विद्युत क्षेत्र.
111.	मण्डलेश्वर	चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, खरगोन	खरगोन तथा भीकनगांव का विद्युत क्षेत्र.”

**टिप्पणी:—**विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अन्तरित हो जायेंगे.

F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(one)-3924-2014.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September, 2010, namely:—

## AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial numbers 65 & 111 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

## TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of Special court (According to the electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
65.	Narsinghpur	IIIrd Additional Sessions Judge, Gadarwara.	Electricity Area of Gadarwara and Tendukheda.
111.	Mandleshwar	IVth Additional Sessions Judge, Khargone.	Electricity Area of Khargone and Bhikangaon."

**Note:—**The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to the newly constituted court according to their territorial jurisdiction.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 15 नवम्बर 2011

क्र. -ए.डी.एम.-रीडर-2011-2431.—पुलिस अधीक्षक, जिला-उज्जैन के प्रतिवेदन क्रमांक-पु. अ.-9534-11, दिनांक 16-08-2011 द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला उज्जैन के थाना बिरलाग्राम नागदा के 03 गांव (1) ग्राम परमारखेडी (2) ग्राम किलोदिया (3) गिदवानिया को थाना नागदा मंडी में सम्मिलित किये जाने हेतु क्षेत्रीय विधायक श्री दिलीपसिंह गुर्जर द्वारा मांग की गई है. इन्हीं ग्रामों के संबंध में समिति सदस्य (1) कलेक्टर उज्जैन (2) पुलिस अधीक्षक, उज्जैन (3) जिला अभियोजन अधिकारी, उज्जैन द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रस्ताव दिनांक 09-11-2011 प्रस्तुत किये गये जिनका विवरण इस प्रकार है:—

ग्राम का नाम	जनसंख्या	वर्तमान में किस थाने के अंतर्गत गांव के हैं	वर्तमान थाने से दूरी व दिशा	नागदा मंडी थाने में गांवों को सम्मिलित करने हेतु उससे दूरी	थाने से गांव तक पहुंचने का साधन	विगत 05 वर्षों के अपराधों की स्थिति	ग्राम परिवर्तन का कारण	वर्तमान न्यायालयीन क्षेत्राधिकार एवं राजस्व क्षेत्र	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
परमारखेडी	900	बिरलाग्राम	5 कि.मी. पश्चिम.	3 कि.मी. पश्चिम-दक्षिण.	सड़क मार्ग.	14	जनसुविधा की दृष्टि से.	नागदा	अनुशंसा की जाती है.
किलोदिया	850	बिरलाग्राम	10 कि.मी. उत्तर-पश्चिम.	9 कि.मी. उत्तर-पश्चिम.	सड़क मार्ग.	12	जनसुविधा की दृष्टि से.	नागदा	अनुशंसा की जाती है.
गिदवानिया	1600	बिरलाग्राम	6 कि.मी. उत्तर-पश्चिम.	5 कि.मी. उत्तर-पश्चिम.	सड़क मार्ग.	47	जनसुविधा की दृष्टि से.	नागदा	अनुशंसा की जाती है.

अतः पुलिस अधीक्षक, जिला-उज्जैन के प्रतिवेदन एवं समिति की अनुशंसा से सहमत होते हुए ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए थाना बिरलाग्राम के 03 (1) ग्राम परमारखेडी (2) ग्राम किलोदिया (3) गिदवानिया को थाना नागदा मंडी में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

एम. गीता, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

## वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

क्र. 2917-2158-2014-अ-ग्यारह.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा-34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी की इकाई क्रमांक 8 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम. पी./3514 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा-6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 24 अगस्त 2014 से 23 नवम्बर 2014 तक तीन माह के लिये छूट प्रदान करता है:—

- (1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा-18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
- (2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा-02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
- (3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
- (4) नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्यूलर ब्लोडाऊन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
- (5) मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम-6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के सम्बंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं
- (6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनिल भारतीय, उपसचिव.

## आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल ( विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. 8355-अका-विपप्र-2014-संशोधन.—राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अप्रैल 2012 से संबंधित अधिसूचना क्रमांक 4879-2128-अका-विपप्र-2012, दिनांक 12 अप्रैल 2012 को सम्पन्न प्रश्नपत्र-लेखा प्रथम (बिना पुस्तकों के) सम्पन्न हुआ था, में इंदौर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी, श्री राधेश्याम धाकड़, राजस्व निरीक्षक अंकित है, के स्थान पर अब श्री राधेश्याम धाकड़, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख पढ़ा जाए.

(2) राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अप्रैल, 2012 से संबंधित अधिसूचना क्रमांक 4431-अका-विपप्र-2012 के अनुसार प्रश्नपत्र-पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सम्पन्न हुआ था, में इंदौर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी, श्री राधेश्याम धाकड़, राजस्व निरीक्षक अंकित है, के स्थान पर अब श्री राधेश्याम धाकड़, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख पढ़ा जाए.

(3) राज्य शासन द्वारा, विभागीय परीक्षा माह अप्रैल, 2012 से संबंधित अधिसूचना क्रमांक 4890-2196-अका-विपप्र-2012, द्वारा आयोजित प्रश्नपत्र-सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सम्पन्न हुआ था, में इंदौर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी, श्री राधेश्याम धाकड़, राजस्व निरीक्षक अंकित है, के स्थान पर अब श्री राधेश्याम धाकड़, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

क्र. 5-व.लि.-2-2014-8093.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-32-1999-1-4, दिनांक 30 मार्च 1999 के पालन में सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-02 के अनुक्रमांक 04 के नियम 08 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, डॉ. अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर शहडोल म. प्र. वर्ष 2015 के लिए निम्नानुसार दर्शायी गई तारीखों को पूरे दिन के लिए 03 स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ.

क्रमांक	जिला	अवकाश का दिनांक	दिन	पर्व
1.	शहडोल	07 मार्च 2015	शनिवार	भाई दूज
2.	शहडोल	17 सितम्बर 2015	गुरुवार	गणेश चतुर्थी/विश्वकर्मा जयन्ती
3.	शहडोल	12 नवम्बर 2015	गुरुवार	दीपावली का दूसरा दिन

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालय/उपकोषालयों तथा बैंकों पर लागू नहीं होंगे.

अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर.

## कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 16 दिसम्बर 2014

क्र. 1674-मण्डी-निर्वाचन-2014.—म. प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 11(1) (घ)-दो में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, डॉ. संजय गोयल, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) कृषि उपज मण्डी समिति 104—आलोट के लिए विधान सभा सदस्य प्रतिनिधि के रूप में प्राप्त प्रस्ताव अनुसार निम्नांकित प्रतिनिधि का नाम विधायक प्रतिनिधि के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूँ:—

क्रमांक	मण्डी समिति का नाम	नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता	प्रतिनिधि	मण्डी अधिनियम की धारा
1.	104-आलोट	श्री गोपालसिंह पिता भैरूसिंह आंजना ग्राम जहानाबाद.	विधायक, विधान सभा सदस्य	धारा 11(1)(घ)

विनय कुमार धोका, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी).

## कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) जिला मन्दासौर, मध्यप्रदेश

मन्दासौर, दिनांक 17 दिसम्बर 2014

क्र. 1737-मण्डी-निर्वाचन-2014-15—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति भानपुरा, जिला मन्दासौर के वार्ड क्रमांक निरंक के उपनिर्वाचन 2014 में निम्नानुसार तुलैया-हम्माल प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं:—

क्रमांक	निर्वाचित सदस्य का नाम	पद जिसके लिये निर्वाचित हुए	पता
1.	श्री अशोक कुमार राठौर पिता हीरालाल राठौर	तुलैया तथा हम्माल सदस्य	भँवरिया गडार वार्ड क्रमांक 06, भानपुरा, जिला मन्दासौर.

संजीवसिंह, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी निर्वा.).

## संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. गन्ना-एस-3-क्षे. रा.-2014-15-563.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, मोहन लाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल, गन्ना, पैराई मौसम वर्ष 2014-15 हेतु निखिल शुगर लिमिटेड ग्राम बारंगी तह. खिरकिया, जिला हरदा मध्यप्रदेश के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :—

क्र.	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	हरदा	फैक्ट्री गेट	97	1620.31
योग . .			97	1620.31

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी उसकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

मोहन लाल, गन्ना आयुक्त.

### निखिल शुगर लिमिटेड बारंगी जिला—हरदा गन्ना आरक्षित क्षेत्र सत्र 2014-15 (एकड़ में)

क्र.	गांव का नाम	विकासखण्ड	कुल किसान	कुल प्लाट	कुल रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बारंगी	खिरकियाँ	41	59	295.48
2	भिरंगी	खिरकियाँ	1	1	10.00
3	बाफला	खिरकियाँ	2	3	17.42
4	नीमसराय	खिरकियाँ	13	16	71.66
5	कमताडी	खिरकियाँ	3	3	10.72
6	वोंडगाँव	खिरकियाँ	1	1	6.00
7	धनवाडा	खिरकियाँ	2	2	26.44
8	हिवाला	खिरकियाँ	22	31	177.68
9	बम्हनगाँव	खिरकियाँ	10	14	134.32
10	बारंगा	खिरकियाँ	1	3	8.00
11	खमलाय	खिरकियाँ	3	3	23.60
12	बडुनगर	खिरकियाँ	1	1	20.14
13	माँदला	खिरकियाँ	3	5	21.70
14	रोसड़	खिरकियाँ	1	1	7.54
15	हरपालियाँ	खिरकियाँ	3	3	34.00
16	लोनी	खिरकियाँ	4	12	68.22
17	मरदानपुर	खिरकियाँ	7	17	44.60
18	विक्रमपुरखुर्द	खिरकियाँ	1	1	8.00
19	वैडियाखुर्द	खिरकियाँ	15	29	133.24

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	वैडियाकलों	खिरकियो	6	8	33.88
21	डेडगाँव	खिरकियो	7	10	67.00
22	जूनापानी	खिरकियो	1	1	5.00
23	सोनपुरा	खिरकियो	28	33	148.92
24	बोधीया	खिरकियो	2	3	11.16
25	खेडी	खिरकियो	4	5	51.68
26	शोभापुर	खिरकियो	13	19	112.90
27	जटपुरा	खिरकियो	4	5	24.56
28	पहटकलों	खिरकियो	1	1	7.00
29	पोखरनी	खिरकियो	4	8	17.80
30	जयमलपुरा	खिरकियो	3	3	21.46
31	पिपल्या	खिरकियो	1	1	4.00
32	टेमलावाड़ी	खिरकियो	1	1	10.64
33	कानपुरा	खिरकियो	1	1	7.00
34	बोरीसराय	खिरकियो	1	1	6.92
35	मक्तापुर	खिरकियो	5	6	47.00
36	चारूवा	खिरकियो	1	1	7.00
37	ढोलगाँव	खिरकियो	1	1	2.00
38	मुहाल	खिरकियो	1	1	6.00
39	बड़खाल्यो	नया हरसुद	1	1	4.00
40	सिराली	खिरकियो	1	1	5.54
41	जिनवान्या	खिरकियो	16	24	165.30
42	मुण्डासेल	खिरकियो	1	2	8.66
43	सोमगाँव	खिरकियो	1	3	14.84
44	आमासेल	खिरकियो	7	11	79.70
45	लोलांगरा	खिरकियो	11	14	67.14
46	खुदिया	खिरकियो	2	3	16.62
47	धनकार	खिरकियो	1	1	2.18
48	धुपकरण	खिरकियो	1	1	4.00
49	घोंघडाघाटखुर्द	खिरकियो	1	2	7.84
50	रामपुरा	खिरकियो	2	4	23.28
51	पिपल्या	खिरकियो	1	1	3.84
52	महेन्द्रगाँव	खिरकियो	1	1	2.32
53	विक्रमपुरखुर्द	खिरकियो	1	3	14.08
54	नहालीकलों	खिरकियो	1	1	5.72
55	काँकरिया	हरदा	3	3	27.42
56	बैरागढ़	हरदा	6	13	58.62
57	कुकरावद	हरदा	1	1	2.36
58	बुदंडा	हरदा	3	3	22.86
59	सिरकम्बा	हरदा	1	3	7.90
60	झुंडगाँव	हरदा	4	5	16.12
61	बरखेड़ी	हरदा	5	7	30.56
62	मगरधा	हरदा	3	6	34.00
63	गहाल	हरदा	3	3	8.64

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
64	नकवाड़ा	हरदा	1	1	4.64
65	गुठानियाँ	हरदा	2	3	8.76
66	झिरी	हरदा	2	2	6.12
67	रहटाखुर्द	हरदा	2	4	34.00
68	सोनतलाई	हरदा	4	7	84.12
69	विछौला	हरदा	2	3	29.80
70	नहालखेड़ा	हरदा	1	1	9.00
71	नीमगाँव	हरदा	1	1	1.00
72	रहटाकलौ	हरदा	1	2	8.02
73	रन्हाई	हरदा	1	1	3.08
74	चारखेड़ा	टिमरनी	57	108	740.02
75	खिड़कीवाला	टिमरनी	4	7	38.76
76	उन्द्राकच्छ	टिमरनी	3	5	21.02
77	आलमपुर	टिमरनी	1	1	10.74
78	दुधकच्छ	टिमरनी	7	13	97.62
79	फुलड़ी	टिमरनी	18	33	181.90
80	धनगाँव	टिमरनी	9	13	64.12
81	काल्पी	टिमरनी	3	3	24.16
82	रहटगाँव	टिमरनी	1	1	4.28
83	छिरपुरा	टिमरनी	1	1	4.56
84	पोखरनी	टिमरनी	1	2	10.98
85	छिदगाँवमेल	टिमरनी	1	1	4.00
86	बहरागाँव टपपर	टिमरनी	1	1	4.78
87	सिरकम्बा नांदवा	टिमरनी	2	4	20.74
88	सोडलपुर	टिमरनी	1	1	3.40
89	नांदवा	टिमरनी	1	1	6.90
90	टेमागाँव	टिमरनी	8	14	79.22
91	पानतलाई	टिमरनी	1	1	1.00
92	लहाड़पुर	टिमरनी	1	4	21.54
93	भायलीटप्पर	टिमरनी	2	2	5.32
94	बारजा	टिमरनी	2	4	15.12
95	निमाचा	टिमरनी	2	7	49.48
96	धौलपुर	टिमरनी	2	3	20.90
97	सैताड़ा	टिमरनी	4	10	38.82

योग

97 ग्राम

1620.31

हस्ताक्षर

निखिल शुगर लिमिटेड बारंगी

जनरल मैनेजर (गन्ना)



भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. गन्ना-एस-3-क्षे. रा.-2014-15-561.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, मोहन लाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल, गन्ना, पैराई मौसम वर्ष 2014-15 हेतु नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित नवल नगर, जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :—

क्र.	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बुरहानपुर	बुरहानपुर	24	980.7
2	बुरहानपुर	शाहपुर	20	121.1
3	बुरहानपुर	दरियापुर	38	1492.4
4	बुरहानपुर	खकनार	31	1114.8
5	बुरहानपुर	टुकईथड	32	824.5
6	बुरहानपुर	हैदरपुर	36	2329.10
7	खण्डवा	पन्धाना	14	198.1
8	खण्डवा	खण्डवा	18	60.6
9	खण्डवा	पुनासा	8	51.3
10	खण्डवा	छनेरा	5	15.8
योग . .			226	7188.40

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उसकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

मोहन लाल, गन्ना आयुक्त.

नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित,  
नवलनगर 450331, जिला बुरहानपुर (म. प्र.)  
रक्षित क्षेत्र में ग्रामवार फसल प्रकारानुसार गन्ने का क्षेत्र

अ. नं.	गट का नाम	सेन्टर का नाम	ग्राम का नाम	गन्ने का प्रकार (हेक्टर)			
				रोपा	जडी (दुरी)	तिरी	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>बुरहानपुर</b>							
1		बुरहानपुर	बुरहानपुर	2.000	0.000	0.000	2.000
2			बोरगांव खुर्द	63.500	51.800	1.400	116.700
3			बाडाबुजुर्गा	2.000	4.700	0.000	6.700
4			चिंचाला	7.600	4.200	0.000	11.800
5			ऐमागिर्द	7.000	4.000	0.000	11.000
6			फतेहपुर	30.300	25.300	4.000	59.600
7			लालबाग	0.000	3.000	0.000	3.000
8			रहीपुरा (बुरहानपुर)	10.600	14.400	0.000	25.000
9			लोधीपुरा	2.000	4.000	0.000	6.000
योग . .			बुरहानपुर	125.000	111.400	5.400	241.800

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10		बहादरपुर	बिरोदा	3.800	1.200	0.000	5.000
11			बोहरडा	4.400	0.000	0.400	4.800
12			मोहम्मदपुरा	5.400	3.400	0.000	8.800
		योग . .	बहादरपुर	13.600	4.600	0.400	18.600
13		निम्बोला(अ)	बसाड़	10.800	2.600	0.000	13.400
14			मगरूल	73.000	55.200	1.000	129.200
15			मचलपुरा	12.100	9.400	1.500	23.000
16			निम्बोला	32.700	32.500	0.800	66.000
17			रहीपुरा (निम्बोला)	17.400	16.200	0.800	34.400
18			गारबडली	0.000	0.600	0.000	0.600
		योग . .	निम्बोला (अ)	146.000	116.500	4.100	266.600
		निम्बोला (ब)					
19			बोरीखुर्द	41.300	30.500	0.000	71.800
20			चुलखान	53.900	45.200	12.000	111.100
21			नसीराबाद	89.700	64.300	6.800	160.800
22			निम्ना	19.400	12.700	0.000	32.100
23			झीरी	24.200	23.900	2.200	50.300
24			झांझर	15.700	9.900	2.000	27.600
		योग . .	निम्बोला(ब)	244.200	186.500	23.000	453.700
		योग . .	बुरहानपुर	528.800	419.000	32.900	980.700
25	शाहपुर	शाहपुर	बम्भाडा	1.000	1.400	0.000	2.400
26			बक्खारी	1.400	1.000	0.000	2.400
27			बादखेडा (नाचनखेडा)	1.200	2.000	1.200	4.400
28			खामनी	0.000	1.200	0.400	1.600
29			मोहद	1.800	0.000	0.000	1.800
30			निमगांव	2.000	1.000	0.000	3.000
31			शाहपुर	11.900	1.600	2.100	15.600
32			सिरसोदा	6.100	4.800	0.000	10.900
33			नेर	0.000	2.000	0.000	2.000
		योग . . शाहपुर		25.400	15.000	3.700	44.100
		फोपनार					
34			बडसिंगी	1.400	0.000	0.000	1.400
35			दहीहंडी	2.000	0.000	0.000	2.000
36			फोपनार	2.400	1.400	0.000	3.800
37			पिंपरी	0.000	1.200	0.000	1.200
38			संग्रामपुर	5.800	3.400	0.000	9.200
39			तुरकपुराड़ा	11.200	9.800	0.000	21.000
		योग . .	फोपनार	22.800	15.800	0.000	38.600
		चापोरा					
40			अडगाँव	2.600	1.400	0.600	4.600
41			भोटा	5.400	2.000	0.000	7.400
42			धामनगाँव	12.000	1.400	0.400	13.800

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
43			इच्छापुर	3.000	5.000	0.600	8.600
44			वारोली	1.200	2.800	0.000	4.000
		योग . .	चापोरा	24.200	12.600	1.600	38.400
		योग . .	शाहपुर	72.400	43.400	5.300	121.100
	<b>दर्यापुर</b>						
		<b>दर्यापुर</b>					
45			बडगांव (गुलई)	14.300	5.600	0.000	19.900
46			दर्यापुर	58.800	42.500	2.200	103.500
47			जैनाबाद	122.800	90.700	6.100	219.600
48			खडकोद	25.500	10.800	1.400	37.700
49			टिटगांवखुर्द	11.000	5.800	0.200	17.000
		योग . .	दर्यापुर	232.400	155.400	9.900	397.700
		<b>बोदरली</b>					
50			अंजनबडी	0.800	0.600	0.000	1.400
51			बोदरली	5.800	4.100	0.000	9.900
52			बडझीरी	3.800	0.000	0.000	3.800
53			चिल्लारा	1.400	0.000	0.000	1.400
54			चाकबारा	6.500	1.200	0.000	7.700
55			डोंगरगांव(बोदरली)	0.500	0.500	0.000	1.000
56			देव्हारी	2.700	0.000	0.000	2.700
57			जसौंदी	1.200	3.400	0.000	4.600
58			पिपलगांव	1.200	1.400	0.000	2.600
59			तारापाटी	1.400	3.700	0.000	5.100
		योग . .	बोदरली	25.300	14.900	0.000	40.200
		<b>सारोला</b>					
60			एकलारा	21.500	6.500	1.100	29.100
61			हनुमंतखेड़ा	13.800	9.400	0.000	23.200
62			सारोला	69.700	65.300	4.400	139.400
63			टिटगांवकला	50.500	39.800	2.800	93.100
64			उमरदा	37.700	28.300	1.200	67.200
		योग . .	सारोला	193.200	149.300	9.500	352.000
		<b>अम्बाडा</b>					
65			अम्बाडा	46.700	20.600	0.000	67.300
66			बाडाजैनाबाद	16.200	9.200	0.300	25.700
67			देवरी	30.400	14.700	0.000	45.100
68			हिंगना	41.900	21.400	0.000	63.300
69			लिंगा	9.200	1.600	0.000	10.800
70			नेवरी	35.800	17.600	0.000	53.400
71			सांडसकला	19.400	4.000	0.000	23.400
72			शंकरपुरा	7.200	2.100	0.000	9.300
73			सांडसखुर्द	29.100	16.400	0.200	45.700
		योग . .	अम्बाडा	235.900	107.600	0.500	344.000
		<b>सिरपुर</b>					
74			हसीनाबाद	10.300	4.000	0.000	14.300

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
75			खेरखेडा	0.800	1.000	0.000	1.800
76			निम्बापुर	18.300	8.900	0.000	27.200
77			नांदखेडा	11.600	3.700	0.400	15.700
78			सिरपुर	21.700	19.500	0.000	41.200
		योग . .	सिरपुर	62.700	37.100	0.400	100.200
		सिंधखेडा					
79			गुलई	9.100	3.800	0.000	12.900
80			महलगुराड़ा	58.000	28.400	0.000	86.400
81			सिंधखेडा	103.900	39.200	0.400	143.500
82			हनुमंतखेडा-अ	6.600	8.900	0.000	15.500
		योग . .	सिंधखेडा	177.600	80.300	0.400	258.300
		योग . .	दर्यापुर	927.100	544.600	20.700	1492.400
	<b>खकनार</b>						
		<b>खकनार</b>					
83			बोरखेड़ा	1.000	0.000	0.000	1.000
84			भेराघाट	6.300	3.400	0.000	9.700
85			धाबा	38.800	11.100	0.000	49.900
86			जामन्या	52.600	30.600	1.500	84.700
87			खकनार	51.700	31.200	0.100	83.000
88			खकनार खुर्द	11.800	14.200	0.000	26.000
89			करवली	0.000	0.800	0.000	0.800
90			पांगरी	11.500	14.300	0.000	25.800
		योग . .	खकनार	173.700	105.600	1.600	280.900
	<b>डोईफोडीया</b>						
91			बसाली	16.200	5.800	1.800	23.800
92			डोईफोडिया	19.300	5.500	0.100	24.900
93			कारखेडा	25.800	23.100	0.000	48.900
94			लोखंडया	0.500	0.000	0.000	0.500
95			नांदुरा खुर्द	6.100	0.600	0.000	6.700
96			नादुराकला	1.000	0.400	0.000	1.400
97			नागझिरी	1.400	2.400	0.000	3.800
98			साईखेडा (डोईफोडिया)	8.500	4.600	0.000	13.100
99			सायर	0.600	0.700	0.000	1.300
100			सामरया	2.900	0.400	0.000	3.300
101			ताजनापुर	12.400	9.300	0.000	21.700
		योग . .	डोईफोडीया	94.700	52.800	1.900	149.400
	<b>मांजरोद</b>						
102			बिजोरी	47.900	51.900	8.800	108.600
103			दसघाट	21.700	15.800	0.900	38.400
104			कानापुर	22.700	11.200	0.000	33.900
105			मांजरोद कला	59.600	53.500	1.800	114.900
106			मांजरोद खुर्द	40.600	31.700	5.200	77.500
107			टेंभी	19.800	6.300	0.000	26.100
		योग . .	मांजरोद	212.300	170.400	16.700	399.400

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<b>शेखापुर</b>					
108			खडकी	6.600	4.600	0.000	11.200
109			मोहनगढ	21.400	5.600	0.000	27.000
110			निमंदड़	18.500	8.200	0.000	26.700
111			रघई	55.700	35.200	1.600	92.500
112			सावली	29.700	12.100	0.000	41.800
113			शेखापुर	43.400	42.100	0.400	85.900
		योग . .	शेखापुर	175.300	107.800	2.000	285.100
		योग . .	खकनार	656.000	436.600	22.200	1114.800
	<b>तुकईथड</b>						
		<b>तुकईथड</b>					
114			चिड़ियामाल	9.900	3.500	0.000	13.400
115			खोदरी	9.500	7.000	5.400	21.900
116			मोन्द्रा	25.500	9.800	5.400	40.700
117			मेलचुका	15.900	13.300	0.000	29.200
118			पीपलपानी	29.800	29.800	4.300	63.900
119			रायतलाई	14.800	3.800	2.500	21.100
120			रामधड़	18.000	16.100	1.200	35.300
121			तुकईथड	73.600	37.400	8.900	119.900
122			झिरमिटी	9.700	4.300	0.000	14.000
123			पांढरी	1.500	3.600	1.600	6.700
		योग . .	तुकईथड	208.200	128.600	29.300	366.100
		<b>देडतलाई</b>					
124			बालापाट	2.800	0.700	0.000	3.500
125			पीपरी बोरबन	22.300	7.800	3.300	33.400
126			धावटी	0.900	0.800	0.000	1.700
127			देडतलाई	9.100	3.000	0.000	12.100
128			धार (बेलथड)	69.200	45.300	9.300	123.800
129			सागमली	33.300	18.900	4.000	56.200
130			सातोड	1.200	0.000	0.000	1.200
131			चौखंडा	1.500	2.300	0.400	4.200
		योग . .	देडतलाई	140.300	78.800	17.000	236.100
		<b>शेखपुरा</b>					
132			दाहिन्दा	7.900	15.900	1.600	25.400
133			दैय्यत	17.200	21.800	3.200	42.200
134			डवाली	3.200	0.000	0.000	3.200
135			ढाकना	1.800	5.900	0.000	7.700
136			गोद्री	6.500	4.400	0.000	10.900
137			परेठा	12.600	12.400	1.200	26.200
138			रायपुर	9.900	6.700	1.600	18.200
139			रामाखेड़ा	1.000	3.600	0.000	4.600

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
140			साजनी	19.000	13.800	4.400	37.200
141			सेधवाल	13.400	5.400	0.000	18.800
142			शेखपुरा	8.000	3.200	2.800	14.000
143			डांगुल्ला	6.500	3.800	0.000	10.300
144			झेलपुरा	2.800	0.000	0.000	2.800
145			तेलियाथड	0.800	0.000	0.000	0.800
		योग . .	शेखपुर	110.600	96.900	14.800	222.300
		योग . .	तुकईथड	459.100	304.300	61.100	824.500
	<b>हैदरपुर</b>						
		<b>हैदरपुर</b>					
146			डालमहू	28.700	2.400	0.000	31.100
147			घाघरला	45.200	11.800	0.000	57.000
148			हैदरपुर	109.700	18.300	0.000	128.000
149			हिवरा	60.700	24.500	0.000	85.200
		योग . .	हैदरपुर	244.300	57.000	0.000	301.300
	<b>डाभियाखेडा</b>						
150			बड़ीखेडा	89.300	35.200	0.000	124.500
151			डाभियाखेडा	54.100	26.000	4.600	84.700
152			पांचइमली	46.200	18.400	0.000	64.600
		योग . .	डाभियाखेडा	189.600	79.600	4.600	273.800
	<b>नायरा-A</b>						
153			नावरा	75.800	29.700	0.000	105.500
154			रहमानपुरा	46.200	27.400	0.000	73.600
155			सिंधखेडा (नावरा)	22.900	3.700	0.000	26.600
156			धमनपुर	2.200	0.000	0.000	2.200
		योग . .	नावरा-A	147.100	60.800	0.000	207.900
	<b>नावरा-B</b>						
157			अमुल्ला	8.300	8.500	0.000	16.800
158			दुधिया	66.400	27.800	0.600	94.800
159			दर्यापुर (नावरा)	24.800	18.400	0.600	43.800
160			गोराडिया	63.600	45.400	0.400	109.400
161			गोलखेडा	28.800	17.800	0.000	46.600
162			केरपानी	41.700	32.400	1.000	75.100
163			मचगांव	24.100	3.800	0.000	27.900
164			नयाखेडा	42.500	17.400	0.000	59.900
165			रत्नापुर	10.500	11.800	2.400	24.700
		योग . .	नावरा-B	310.700	183.300	5.000	499.000
	<b>नेपानगर-A</b>						
166			अंधारबाडी	89.600	46.500	0.000	136.100
167			भातखेडा (सीवल)	37.300	21.600	0.000	58.900
168			बीड़ (नेपा)	14.400	3.400	0.000	17.800
169			सातपायरी	53.100	39.200	0.200	92.500
		योग . .	नेपानगर-A	194.400	110.700	0.200	305.300

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>सीवल</b>						
170			बदनापुर	45.000	20.800	0.000	65.800
171			बाकडी	20.500	5.300	0.000	25.800
172			सीवल	115.800	42.000	0.000	157.800
173			मांडवा	1.600	1.300	0.000	2.900
174			चैनपुरा	1.700	0.000	0.000	1.700
		योग . .	सीवल	184.600	69.400	0.000	254.000
	<b>पलासुर</b>						
175			पलासुर	108.300	37.900	0.000	146.200
176			साईंखेड़ा (सीवल)	115.800	13.200	0.000	129.000
		योग . .	पलासुर	224.100	51.100	0.000	275.200
	<b>नेपानगर-B</b>						
177			बोरसल (चांदनी)	18.400	6.800	0.000	25.200
178			चांदनी	8.900	2.500	0.000	11.400
179			डवाली	39.900	10.300	0.400	50.600
180			नावथा	65.100	37.600	0.900	103.600
181			रतागढ़	18.200	3.600	0.000	21.800
		योग . .	नेपानगर-B	150.500	60.800	1.300	212.600
		योग . .	हैदरपुर	1645.300	672.700	11.100	2329.100
	<b>पंधाना</b>						
		<b>आरूद</b>					
182			आरूद	37.700	8.200	0.000	45.900
183			अंजनगाव	13.800	1.300	0.000	15.100
184			धनोरा	8.500	1.000	0.000	9.500
185			हीरापुर	16.600	3.100	0.000	19.700
186			बाबली	1.300	0.000	0.000	1.300
		योग . .	आरूद	77,900	13,600	0.000	91.500
	<b>कुमठी</b>						
187			कुमठी	0.200	0.000	0.000	0.200
188			पचम्बा	2.800	1.200	0.000	4,000
189			पावईकला	2.400	2.000	0.000	4.400
190			रुस्तमपुर	0.200	0.000	0.000	0.200
		योग . .	कुमठी	5.600	3.200	0.000	8.800
	<b>बोरगांव बुजुर्ग</b>						
191			बोरगांव बुजुर्ग	10.400	6.300	0.000	16.700
192			हेमगीर	34.400	10.300	0.000	44.700
193			खिराला	2.500	0.800	0.000	3.300
194			पिपरहट्टी	17.300	13.700	0.000	31.000
195			राजोरा	0.000	0.500	1.600	2.100
		योग . .	बोरगांव बुजुर्ग	64.600	31.600	1.600	97.800
		योग . .	पंधाना	148.100	48.400	1.600	198.100
	<b>पुनासा</b>						
		<b>पुनासा</b>					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
196			अटूटखास	2.600	4.200	1.600	8.400
197			खेडीबुजुर्ग	4.400	4.500	0.800	9.800
198			नवलगांव	3.000	0.000	0.000	3.000
199			खुटलाकला	0.800	0.600	0.000	1.400
200			अमोदा	0.000	1.000	0.000	1.000
		योग . .	पुनसा	10.800	10.400	2.400	23.600
	<b>सुलगांव</b>						
201			हरवंशपुरा	0.800	1.300	0.400	2.500
202			टेमाचा	2.600	3.400	0.600	6.600
203			बखरगांव	6.600	12.000	0.000	18.600
		योग . .	सुलगांव	10.000	16.700	1.000	27.700
		योग . .	पुनासा	20.800	27.100	3.400	51.300
	<b>खण्डवा</b>						
		<b>खण्डवा</b>					
204			बलवाडा (जसावाडी)	4.800	0.000	0.000	4.800
205			भामगढ़	1.400	2.200	0.000	3.600
206			जसवाडी	0.000	0.800	0.000	0.800
207			ललवाड़ा	0.500	4.000	0.000	4.500
208			जामलीकला	8.000	2.400	1.000	11.400
		योग . .	खण्डवा	14.700	9.400	1.000	25.100
	<b>सिंगोट</b>						
209			अम्बापाट	1.000	1.400	1.000	3.400
210			बामंदा (खंडवा)	0.000	1.200	0.000	1.200
211			खिड़गांव	3.900	1.200	0.000	5.100
212			कालपाट (गान्धवा)	0.500	0.000	0.000	0.500
213			लछोरा खुर्द	1.000	1.500	0.500	3.000
214			पिपल्याकला	3.800	0.000	0.000	3.800
215			सिंगोट	2.600	0.000	0.000	2.600
216			सेमल्या (हांडीया)	2.000	0.000	0.000	2.000
217			चिचखेड़ा	1.400	0.000	0.000	1.400
		योग . .	सिंगोट	16.200	5.300	1.500	23.000
	<b>छैगांवमाखन</b>						
218			अवलिया	0.000	1.000	0.000	1.000
219			बरूड	4.800	3.500	0.000	8.300
220			डाभी	0.400	1.400	0.000	1.800
221			कोंडावद	1.000	0.400	0.000	1.400
		योग . .	छैगांवमाखन	6.200	6.300	0.000	12.500
		योग . .	खण्डवा	37.100	21.000	2.500	60.600
	<b>छनेरा</b>						
		<b>छनेरा</b>					
222			बोरीसराय	3.600	1.200	2.000	6.800
223			खालबा	2.000	0.000	0.000	2.000
224			बोधियाखुर्द	1.400	3.000	0.000	4.400
225			समेश्वर	0.600	0.000	0.000	0.600
226			साल्याखेड़ा	2.000	0.000	0.000	2.000
		योग . .	छनेरा	17.000	7.000	3.800	15.8
		योग . .	कुल योग	4511.700	2524.100	164.600	7188.4



**कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ), आलोट,  
जिला रतलाम, मध्यप्रदेश**

आलोट, दिनांक 24 दिसम्बर 2014

क्र. -मण्डी-निर्वाचन-2014-1825.—जिले की स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित कृषि उपज मण्डी समिति के लिए स्तम्भ क्रमांक (3) में उल्लेखित सम्मेलन में दिनांक को स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित अध्यक्ष पद के लिए सम्यक् रूप से निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. अतः मैं, डॉ. संजय गोयल, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी निर्वा.), जिला रतलाम, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1997 की धारा 12(9) तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति का निर्वाचन) नियम, 1997 के नियम 84(20) के अनुसरण में, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये अधिसूचित करता हूँ:—

क्रमांक	कृषि उपज मण्डी समिति का क्रमांक व नाम	सम्मिलन का दिनांक	अध्यक्ष पद पर निर्वाचित सदस्य का नाम/पता
(1)	(2)	(3)	(4)
01	104-आलोट	24-12-2014	श्रीमती राजश्री पति ओपेन्द्रसिंह ग्राम—लंगरखेड़ी हाल मुकाम—आलोट

संजय गोयल, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी).

**भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं**

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

OFFICE OF THE ADDITIONAL COMMISSIONER OF INCOME TAX, RANGE-1  
AYAKAR BHAWAN, HOSHANGABAD ROAD, BHOPAL (M. P.)—462011

**CORRIGENDUM**

Bhopal, the 18th December 2014

F. No. Addl. CIT-1/BPL/Jurisdiction/2014-15/1236.— In partial modification to this office Notification dated 15th November, 2014 issued vide F. No. Addl. CIT-1/BPL/Jurisdiction/2014-15, following corrections are, hereby, made:—

- The Explanation (vi) below the Schedule of the Notification (on page 6) should be read as under:—  
“Municipal Ward Numbers of Bhopal Municipal Corporation referred to in Schedule of this Notification are as per Notification No. 3222/सा./2/09, dated 17th July, 2009 published in the Gazette (Extraordinary) of Govt. of Madhya Pradesh.”
- At S. No. 1 in column No. 2 of the Schedule of the Notification, 'Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax, Circle-1, Bhopal' Should be read as 'Deputy/ Assistant Commissioner of Income Tax 1(1), Bhopal'.

Sd/-

(MAYA MAHESHWARI)

Additional Commissioner of  
Income-tax Range-1, Bhopal.

## राज्य शासन के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
संशोधित

सिवनी, दिनांक 20 दिसम्बर 2014

क्र. 9485-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. चूंकि कार्यालय आदेश क्रमांक 1519/भू-अर्जन-2014 सिवनी दिनांक 23 जून 2014 के अनुसार कुल प्रस्तावित खसरा नम्बरों का प्रकाशन हो चुका है. अतएव निम्न संशोधन भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी  
(ख) तहसील—सिवनी  
(ग) नगर/ग्राम—सिमरिया, प.ह.न.-113, ब.नं.-572,  
रा.नि.म. सिवनी भाग—1  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.63 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
152/6	0.20
152/7	0.21
155/2	0.16
155/4	0.06
योग . . .	0.63

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर निर्माण हेतु.  
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी तहसील सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.  
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,  
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

पत्र क्र. 2293-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—जवा  
(ग) ग्राम—वीरपुर कोठार  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.881 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
37	-	0.140
78	0.966	-
79	0.578	-
82	-	0.092
86	0.005	-
150	0.100	-
योग :	1.649	0.232

कुल योग . . . 1.881

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्योथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2295-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—जवा  
(ग) ग्राम—सलैया कला कोठार  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.396 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
357	0.150	-
374	0.063	-
375	0.228	-
376	0.100	-
377	0.243	-
384	0.007	-
385	0.161	-
387	0.231	-
396	0.290	-
398	0.015	-
400	0.134	-
401	0.082	-
402	0.144	-
413	0.233	-
415	0.024	-
416	0.098	-
417	0.004	-
418	0.012	-
420	0.040	-
422	0.137	-

योग : 2.396

कुल योग . . 2.396

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्योथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2297-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—त्योथर  
(ग) ग्राम—पुरवा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.106 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

#### (अ) निजी पट्टे की भूमि

213	0.010
227	0.096
योग . .	0.106

#### (ब) शासकीय भूमि

महायोग . .	0.106
------------	-------

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्योथर उद्वहन योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2299-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—त्योथर

(ग) ग्राम—फुलदेउर कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.216 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
70	-	0.046
73	-	0.229
74	0.046	-
76	0.466	-
79	0.265	-
83	0.168	-
84	0.194	-
85	0.356	-
86	0.023	-
89	0.284	-
90	0.118	-
92	0.062	-
93	0.026	-
94	0.336	-
95	0.302	-
96	0.037	-
97	0.080	-
99	0.208	-
113	0.007	-
114	0.166	-
115	0.294	-
116	0.213	-
118	0.407	-
126	1.375	-
128	0.145	-
131	0.205	-
132	0.748	-
133	1.181	-
268	0.232	-
269	0.212	-
270	0.083	-
271	0.333	-
273	0.018	-
274	0.036	-
275	0.606	-
276	0.209	-
योग :	9.241	0.975
कुल योग . .	10.216	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्योथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2301-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—जवा

(ग) ग्राम—बरेती खुर्द कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.931 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
269	0.001	-
270	0.043	-
271	0.027	-
272	0.016	-
274	0.066	-
313	0.011	-
314	0.084	-
315	0.240	-
321	0.072	-
322	0.187	-
324	0.017	-
360	0.073	-
362	0.116	-
367	0.155	-
368	0.117	-
413	0.128	-
414	0.061	-
416	0.053	-
419	0.072	-
420	0.043	-
443	0.068	-
451	0.057	-
452	0.013	-
453	0.061	-
454	0.009	-
455	0.082	-
853	0.059	-
योग :	1.931	0.000
कुल योग . .	1.931	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्योथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2303-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—जवा  
(ग) ग्राम—पथरी पुर्वा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.163 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
1	0.008	-
2	0.214	-
3	0.024	-
29	0.253	-
32	0.010	-
35	0.019	-
36	0.063	-
37	0.078	-
38	0.020	-
39	0.075	-
40	0.085	-
41	0.006	-
58	0.030	-
61	0.003	-
127	0.076	-
128	0.159	-
129	0.004	-
131	0.129	-
132	0.072	-

(1)	(2)	(3)
133	0.011	-
148	0.136	-
152	0.003	-
153	0.088	-
154	0.015	-
155	0.060	-
162	0.022	-
163	0.120	-
166	0.046	-
167	0.060	-
168	0.008	-
282	0.075	-
283	0.069	-
284	0.031	-
285	0.079	-
286	0.012	-

योग : 2.163

निरंक

कुल योग . . 2.163

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्योथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

पत्र क्र. 2305-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—जवा

(ग) ग्राम—खटिका

(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.493 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
(अ) निजी पट्टे की भूमि	
23	0.071
25	0.034
26	0.002
29	0.077
30	0.041
31	0.027
32	0.020
41	0.084
42	0.022
43	0.065
44	0.001
52	0.108
66	0.140
67	0.035
68	0.014
69	0.035
70	0.023
71	0.024
72	0.068
76	0.206
77	0.015
145	0.060
147	0.077
148	0.000
149	0.014
150	0.185
योग . .	1.450

(ब) शासकीय भूमि

75	0.043
योग . .	0.043
महायोग . .	1.493

क्र. 2307-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—जवा

(ग) ग्राम—गाड़ा कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल —12.167 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
(अ) निजी पट्टे की भूमि	
26	0.180
51	0.086
52	0.065
57	0.195
59	0.172
61	0.188
136	0.149
137	0.105
141	0.311
166	0.223
167	0.209
169	0.295
180	0.087
181	0.275
185	0.355
186	0.217
207	0.002
208	0.194
209	0.131
215	0.052
217	0.193
264	0.012
266	0.001

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्योथर उद्वहन योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(1)	(2)	(1)	(2)
267	0.051	312	0.061
268	0.180	313	0.122
411	0.054	314	0.039
412	0.036	315	0.019
413	0.014	316	0.076
414	0.087	317	0.165
415	0.032	318	0.134
423	0.075	320	0.008
424	0.110	321	0.088
425	0.055	687	0.145
428	0.006	690	0.154
429	0.136	691	0.154
430	0.039	692	0.102
453	0.432	723	0.011
454	0.287	724	0.026
456	0.107	725	0.148
457	0.204	726	0.014
547	0.009	727	0.146
549	0.131	730	0.164
550	0.116	731	0.057
551	0.008	732	0.163
556	0.008	734	0.006
557	0.039	735	0.122
558	0.053	736	0.008
561	0.093	744	0.008
563	0.067	745	0.029
564	0.019	747	0.000
628	0.247	749	0.097
641	0.118	750	0.118
642	0.054	751	0.027
645	0.075	752	0.004
646	0.060	754	0.366
94	0.224	767	0.309
95	0.025	768	0.288
98	0.180	769	0.045
102	0.101	776	0.007
104	0.203		
105	0.039		
106	0.238		
309	0.353	54	0.018
310	0.114	212	0.028
311	0.023	269	0.009
		योग	<u>11.629</u>
		( ब ) शासकीय भूमि	

(1)	(2)	(1)	(2)
571	0.016	127	0.072
319	0.093	128	0.108
322	0.305	130	0.256
688	0.019	131	0.043
743	0.022	132	0.100
755	0.006	182	0.250
806	0.022	183	0.030
		184	0.002
योग . . .	0.538	185	0.012
महायोग . . .	12.167	186	0.098
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्योथर बहाव योजना के महाना वितरक नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		187	0.046
		190	0.191
		193	0.187
		194	0.004
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		208	0.092
		209	0.104
		210	0.162
		219	0.003
		220	0.276
पत्र क्र. 2309-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		221	0.094
		234	0.001
		235	0.285
		236	0.242
		237	0.297
		238	0.105
		239	0.029
		264	0.007
		266	0.262
		267	0.029
		1310	0.028
		योग . . .	4.403
<b>अनुसूची</b>		<b>( ब ) शासकीय भूमि</b>	
(1) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—रीवा		75	0.011
(ख) तहसील—जवा		126	0.101
(ग) ग्राम—लूक चक नं.-1		129	0.012
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.562 हेक्टेयर.		188	0.019
खसरा नम्बर	अर्जित रकबा	191	0.016
	(हे. में)		
(1)	(2)	योग . . .	0.159
<b>( अ ) निजी पट्टे की भूमि</b>		<b>(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्योथर बहाव योजना के महाना वितरक नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.</b>	
60	0.121	<b>(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.</b>	
63	0.193		
66	0.099		
67	0.131		
73	0.005		
85	0.197		
86	0.242		



पत्र क्र. 2311-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—जवा  
(ग) ग्राम—नगमा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.338 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
(अ) निजी पट्टे की भूमि	
157	0.052
162	0.002
164	0.203
165	0.081
166	0.292
167	0.011
174	0.030
175	0.223
176	0.148
178	0.039
179	0.163
180	0.012
187	0.101
188	0.251
190	0.003
329	0.128
330	0.089
331	0.096
332	0.168
339	0.075
340	0.051
951	0.005
योग . .	2.224

#### (ब) शासकीय भूमि

163	0.032
189	0.022
201	0.015
326	0.045
योग . .	0.114
महायोग . .	2.338

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्योथर बहाव योजना के महाना वितरक नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2313-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—जवा  
(ग) ग्राम—पटेहरा कोठार  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.013 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
(अ) निजी पट्टे की भूमि	
645	0.056
646	0.080
647	0.075
648	0.085
649	0.248
654	0.012
655	0.142
656	0.050
657	0.052
658	0.098
660	0.115
योग . .	1.013

#### (ब) शासकीय भूमि

Nil Nil

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्योथर बहाव योजना के महाना वितरक नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2315-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—जवा  
(ग) ग्राम—बसवार  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.553 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)

#### (अ) निजी पट्टे की भूमि

66	0.013
68	0.060
69	0.191
70	0.024
71	0.186
82	0.049
83	0.031
योग . .	<u>0.553</u>

#### (ब) शासकीय भूमि

शून्य	शून्य
योग . .	<u>0.000</u>
महायोग . .	<u>0.553</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्योथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2317-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद

(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—अतरौला  
(ग) ग्राम—गोबरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.839 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)

#### (अ) निजी पट्टे की भूमि

38	0.200
39	0.164
43	0.098
44	0.016
45	0.009
54	0.155
57	0.180
58	0.017
योग . .	<u>0.839</u>

#### (ब) शासकीय भूमि

शून्य	शून्य
योग . .	<u>0.000</u>
महायोग . .	<u>0.839</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्योथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 24 अक्टूबर 2014

प्र. क्र. 016-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—अमानगंज  
(ग) ग्राम—जसवंतपुरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.92 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
532	0.25	निजी भूमि
684	0.30	निजी भूमि
846	1.17	निजी भूमि
572	0.35	निजी भूमि
580	1.70	निजी भूमि
732	1.00	निजी भूमि
813/1	0.54	निजी भूमि
706	2.00	निजी भूमि
744	1.55	निजी भूमि
528	0.26	निजी भूमि
570	1.10	निजी भूमि
571	0.30	निजी भूमि
674/1	0.40	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि.	10.92	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जसवंतपुरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा)  
मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

क्र. 9655-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (कुशलपुरा बहुउद्देशीय मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर में प्रभावित भूमि) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़  
(ख) तहसील—ब्यावरा  
(ग) ग्राम—पनाली, बालचिड़ी, रलायती, बरग्या, परसूलिया  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.822 हेक्टर.

ग्राम—पनाली क्षेत्रफल

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
4/8	0.209
4/23	0.101
487	0.020
269	0.040
442/2	0.369
योग . .	0.739

ग्राम—बालचिड़ी क्षेत्रफल

164/2	0.104
योग . .	0.104

ग्राम—रलायती क्षेत्रफल

393/1	0.050
181/2	0.064
33/1/1	0.108
399/1	0.020
406/1	0.055
383/1	0.078
381/1/1	0.100
379/1/1	0.083
योग . .	0.558

ग्राम—बरग्या क्षेत्रफल

10	0.113
11/1/4	0.062
योग . .	0.175

ग्राम—परसूलिया क्षेत्रफल

2/9/2	0.050
81/1	0.050
116/1	0.146
योग . .	0.246

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—कुशलपुरा बहुउद्देशीय मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर में प्रभावित भूमि हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.